Miche Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1578] No. 1578] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2007/अग्रहायण 16, 1929 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2007/AGRAHAYANA 16, 1929

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2104(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 10ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तर्यों का प्रयोग करते हुए लागत और संकर्म लेखापाल (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में, जून 2007 में हुए लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की परिषद् के निर्वाचन के मामले में अधिनियम की धारा 10क के अधीन विवाद का विनिश्चय करने के लिए एक अधिकरण की स्थापना करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात:—

- श्री पी. के. मल्होत्रा, संयुक्त सचिव और सरकारी काउंसेल, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली
- श्री जुगल किशोर पुरी,
 पूर्व सदस्य, केन्द्रीय परिषद्,
 आईसीडब्ल्यूएआई, प्लाट सं. 3,
 सैक्टर 22, गुडगांव-122017
- श्री यू. सी. नाहटा, क्षेत्रीय निदेशक, (पूर्वी क्षेत्र) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, कोलकाता ।

 यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

> [फा. सं. 5/2/2007-सीएल-5] जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

-अध्यक्ष

-सदस्य

सदस्य

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2007

S.O. 2104(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 10B of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and in pursuance of rule 3 of the Cost and Works Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby establishes a Tribunal consisting of the following persons to decide the dispute under Section 10A of the Act in the matter of election to the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India held in June, 2007, namely:—

- (1) Shri P. K. Malhotra, —Presiding Officer Joint Secretary and Government Counsel, Department of Legal Affairs, New Delhi.
- (2) Shri Jugal Kishore Puri, —Member Former Central Council Member, ICWAI, Plot No. 3, Sector 22, Gurgaon-122017.
- (3) Shri U. C. Nahata, —Member Regional Director, (Eastern Region), Ministry of Corporate Affairs, Kolkata.
- 2. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 5/2/2007-CL-V] JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

4911 GI/2007